संख्या:64/2019/3378जेएल/22-3-19-100(62)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई 2019***

विषय: जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध 07 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-20163/सामा-1(3)/देवरिया स्था0/2019, दिनांक 05-07-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध निम्नलिखित 07 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	वि0 बंदी आलमगीर पुत्र श्री मखतुल	जि0का0देवरिया	जि0का0 लखनऊ
2	वि0 बंदी अमित पुत्र श्री जितेन्द्र प्रसाद	जि0का0देवरिया	जि0का0 बाराबंकी
3	वि0 बंदी शेषमणि मद्धेशिया पुत्र श्री सुबाष मद्धेशिया	जि0का0देवरिया	जि0का0 सीतापुर
4	वि0 बंदी नवीन ठाकुर पुत्र श्री सुदर्शन ठाकुर	जि0का0देवरिया	जि0का0 सीतापुर
5	सि0/वि0 बंदी बलाकत अली अंसारी पुत्र स्व0 सुल्तान अली	जि0का0देवरिया	जि0का0 लखनऊ
6	सि0/वि0 बंदी गुलाब पुत्र श्री ओमप्रकाश	जि0का0देवरिया	जि0का0 सीतापुर
7	सि0/वि0 बंदी मुख्तार पुत्र श्री श्यामसुन्दर	जि0का0देवरिया	जि0का0 लखनऊ

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:64/2019/3378जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया/लखनऊ/बाराबंकी/सीतापुर।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, देवरिया/लखनऊ/बाराबंकी/सीतापुर।
5. अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार देवरिया/लखनऊ/बाराबंकी/सीतापुर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in